न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2023 / 172

सिविल प्रकरण संख्याः– 104 / 2023 तारीख रजू 01.12.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री पुरूषोतम शर्मा (विक्रेता) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, निवाई रोड, बौंली सवाई माधोपुर
2. पुरूषोतम शर्मा पुत्र श्री शिव दयाल शर्मा (प्रोपराईटर) मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार, निवाई रोड, बौंली, सवाई माधोपुर निवासी इन्द्रा कोलोनी, खादी बाग के पास, निवाई रोड, सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 12.01.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.02.2023 को दोपहर 03.00 पी.एम. पर मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गा शंकर शर्मा (विक्रेता) होना बताया एवं फर्म का विक्रेता होना बताया। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु मोतीचूर लड्डू लगभग 15 किलोग्राम दुकान में रखे थे। मोतीचूर लड्डू में गुणवत्ता / मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 02 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 280 / – रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री गोपीकिशन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम मोतीचूर लड्डू को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मोतीचूर लड्डू को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2610** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-2610** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे कृष्ण कुमार शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता कृष्ण कुमार शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/674 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/299/एक्ट/2023/367 दिनांक17.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ मोतीचूर लड्डू** Unsafe Food under Section 3(1)(zz)(vii) of Food Sefety and standard act, 2006 because the dye content of the synthetic colour use exseed the prescribed maximum limit of 100 mg/kg in case of Tratrazine प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक विक्रेता द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रार्थना पत्र में नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन पर अभिहित अधिकारी द्वारा रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे भेजा गया वहां से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नं0 RFL/P/DO-280/23/357/2023 दिनांक 30.06.2022 के अनुसार उक्त खाद्य नमूना मोतीचूर लड्डू Sub-Standard पाया गया।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1162 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ... में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा Sub-Standard, मोतीचूर लड्डू का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard, मोतीचूर लड्डू का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार निवाई रोड मुकाम बौंली पर विक्रय हेतु 15 किलो करीब अनसेफ क्वालिटी के मोतीचूर के लडडू पाना एवं उसमें से सेम्पल हेतु लेने की कार्यवाही किया जाना कतई मिथ्या वर्णित किया है, बताये गये मोतीचूर के लडडू दुकान पर विक्रय के लिये नहीं थे और ना ही कृष्णकुमार उन्हें विक्रय कर रहा था। विक्रय किये जाने का कोई सबूत नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की थी और ना ही मौके पर नियमानुसार उसे सील मोहर किया गया और ना ही लेबोरेट्री उसे नियमानुसार भेजा गया और ना ही नियमानुसार उसकी जांच की गई तथा गलत एवं नाजायज रूप से उसे अनशेफ क्वालिटी का बता दिया। अभियुक्तगण को सेन्ट्रल लेबोरेट्री से जांच कराने हेतु नियमानुसार कोई पत्र नहीं भेजा गया और इस प्रकार अभियुक्तगण के इस अधिकार का हनन हुआ है। मोतीचूर के लडडू का सैम्पल अनसेफ क्वालिटी का बताया जाना कतई गलत एवं मिथ्या है। अभियुक्तगण के उपर पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं रहा है तथा यह प्रथम मुकदमा बनाया गया है। अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा मुकदमे की कार्यवाही को ड्रॉप फरमाते हुए अभियुक्तगण को निर्दोष घोषित फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/299/एक्ट/2023/367 दिनांक17.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ मोतीचूर लड्डू** Unsafe Food under Section 3(1)(zz)(vii) of Food Sefety and standard act, 2006 because the dye content of the synthetic colour use exseed the prescribed maximum limit of 100 mg/kg in case of Tratrazine प्रकृति का होना पाये जाने पर तथा उक्त सेम्पल की पुनः जांच [illegible] पर रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे से प्राप्त जांच सर्टिफिकेट नं0 RFL/P/DO-280/23/35[illegible] दिनांक 30.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया [illegible] स्टेण्डर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रकृति का होना पाया गया है। रेफरल लेब की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में Test for extraneous Colour में Synthetic Colour Tartrazine 124.99 mg/kg detected हुआ है जबकि Under Food Category System Article No. 6.5 only respective listed additives permitted, Tartazine allow upto max. 100 mg/kg होना चाहिए था। प्रकरण में मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार सेम्पल मौके पर सील चपडी किया गया है जिस पर विकेता के रूप में कृष्ण कुमार तथा गवाहान के रूप में गोपीकिशन पुत्र भवानीशंकर के हस्ताक्षर है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र दिनांक 26.04.23 द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/299/एक्ट/2023/367 दिनांक 17.02.2023, अभियुक्त को भिजवाते हुए उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु निर्धारित समय एवं निर्धारित फार्म नं. 8 में आवेदन करने बाबत लिखा गया। जिसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा उक्त सेम्पल रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराया गया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अभियुक्तगण के बहस में दिये गये तर्क सही साबित नहीं होते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** मोतीचूर लड्डू का विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **12.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(नरेन्द्र ...)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:36 IST
Reason: SelfAttested